अभिलेख सं0–टी0 ए0 मिस वाद सं0– 158A/2019-20

केस का प्रकार–(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a)

बिरधान हाँसदा ....आवेदक / विक्रेता

बनाम

रायमात हाँसदा..................................क्रेता

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

7-2020

विक्रेता :– बिरधान हाँसदा पिता स्व0 डिबरु माझी, ग्राम–बघरायसाई थाना–राजनगर, सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड), जाति–संथाल।

क्रेता :– रायमात हाँसदा पति सुरेश चन्द्र हाँसदा, ग्राम–कुमडीह, थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला–खरसावाँ(झारखण्ड), जाति–संथाल।

विक्रेता द्वारा दिनांक 19.12.2019 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत क्रेता रायमात हाँसदा पति सुरेश चन्द्र हाँसदा, ग्राम–कुमडीह, थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) को निम्नलिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति माँगी गयी है :–

:: **भूमि का विवरण** ::

मौजा	थाना /थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
मुड़ियापाड़ा	राजनगर / 153	98	83 / अं0	0.11ए0
			84 / अं0	0.28ए0
			कुल–	**0.39ए0**

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राजनगर से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, राजनगर का पत्रांक 442 दिनांक 25.06.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

1. प्रस्तावित भूमि बिक्रेता के पिता डिबरु माझी के नाम से जमाबंदी दर्ज है।
2. बिक्रेतागण अपने पिता के के मृत्यु पश्चात् आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है।
3. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् बिक्रेता के पास रकवा–3.92 एकड़ भूमि शेष बचेगा।
4. बिक्रेता पारिवारिक खर्च हेतु प्रस्तावित भूमि बिक्री करना चाहता है।
5. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जाति–'संथाल' है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते है।

लगातार.....................2

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राजनगर ... ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.2019 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, राजनगर के अनुशंसा के आलोक में बिक्रेता बिरधान हाँसदा पिता स्व0 डिबरु माझी, ग्राम–बघरायसाई थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) को क्रेता रायमात हाँसदा पति सुरेश चन्द्र हाँसदा, ग्राम–कुमडीह, थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर ऊपर वर्णित रकवा–10डि0 भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

2/07/2020

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

लेखापित,

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।